



पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

सं०-08-37

सं०-213/2017

सं०-132/2017

सं०-283/भाग-3/चार

दिनांक 11-10-2017

महाप्रबन्धक

अपर महाप्रबन्धक

विभागाध्यक्ष

मण्डल रेल प्रबन्धक

कार्मिक अधिकारी

मुख्य कारखाना प्रबन्धक

अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-खेद कूद कोटा के अन्तर्गत भर्ती किए गए खिलाड़ियों की एक ही रेलवे के भीतर अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण पर स्पष्टीकरण।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं० 2017(स्पोर्ट्स) 4(1) 6 ट्रांसफर पॉलिसी दिनांक 18.09.2017 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू० पी०.सिंह)

उपमुकाधि/अराज.

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर०-02 प्रतियों में।
- 6- मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

213/2017

RBE No. 132/ 2017

Clarification/Corrigendum No. 85

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

No. 2017/E(Sports)/4(1)/6/Transfer Policy

New Delhi, dated 18.09.2017

The General Managers (P),

All Zonal Railways including
CLW, DLW, ICF, RCF, RWF, Metro Railway/Kolkata,
The CAO(R), DMW/Patiala,
The DG, RDSO/Lucknow.

विषय: Clarification on Inter- Divisional transfer of sportspersons recruited against sports quota, within the Railway.

सन्दर्भ: Board's letters No. 2011/E(sports)/4(3)/4/Transfer Policy dated 17.02.2011 (RBE No. 23/2011) and dated 25.05.2011 (RBE No. 75/2011).

Please connect Board's policy letters dated 17.02.2011 and 25.05.2011 under reference, containing instructions for transfer of sportspersons, recruited against sports quota, from one division to another division within the same Railway.

The issue of Inter-Division transfer of sportspersons, recruited against sports quota, has been reviewed in Board's office. It is advised that while for own request Inter- Railway transfer of sportspersons against sports quota, the relaxation of the condition of minimum 5 years service will remain with the Railway Board, however for the cases of transfer from one Division/ Unit to another Division/ Unit within the same Railway henceforth may be decided exclusively by the General Manager concerned as is done in the case of other non-gazetted Railway servants.

Bhaskar Roy Choudhury
(Bhaskar Roy Choudhury)
Dy. Director/ Estt.(Sports)

Recd
5.10

3
213/2017

आरबीई सं. 132/2017

स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र सं. 85

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं. 2017/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/6/ट्रांसफर पॉलिसी

नई दिल्ली, दिनांक 18.09.2017

महाप्रबंधक (कार्मिक),

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं

चितरंजन रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना, सवारी डिब्बा कारखाना, रेल कोच फैक्टरी, रेल
पहिया कारखाना, मेट्रो रेलवे/कोलकाता,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलें), डीजल आधुनिकीकरण कारखाना/पटियाला,
महानिदेशक, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन/लखनऊ।

विषय: खेलकूद कोटा के अंतर्गत भर्ती किए गए खिलाड़ियों की एक ही रेलवे के भीतर अंतर-
मंडलीय स्थानांतरण पर स्पष्टीकरण।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 17.02.2011 (आरबीई सं. 23/2011) और दिनांक 25.05.2011
(आरबीई सं. 75/2011) का पत्र सं. 2011/ई(स्पोर्ट्स)/4(3)/4/ट्रांसफर पॉलिसी।

कृपया बोर्ड के दिनांक 17.02.2011 और 25.05.2011 के संदर्भाधीन पॉलिसी पत्रों का अवलोकन
करें, जिसमें खेलकूद कोटा के अंतर्गत भर्ती किए गए खिलाड़ियों की उसी रेलवे के भीतर एक मंडल से
दूसरे मंडल में स्थानांतरण करने के संबंध में अनुदेश दिये गए हैं।

खेलकूद कोटा के अंतर्गत भर्ती किए गए खिलाड़ियों के अंतर-मंडल स्थानांतरण के मामले की बोर्ड
कार्यालय में समीक्षा की गयी है। यह सुझाव दिया जाता है कि खेलकूद कोटा के अंतर्गत खिलाड़ियों के
स्वयं के अनुरोध पर अंतर-रेलवे स्थानांतरण के मामले में, न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा की शर्त में छूट देने
की अनुमति का अधिकार रेलवे बोर्ड के पास होगा, बहरहाल, अब से, एक ही रेलवे के भीतर एक
मंडल/यूनिट से दूसरे मंडल/यूनिट में स्थानांतरण के मामले में निर्णय केवल संबंधित महाप्रबंधक द्वारा
लिया जाएगा जैसा कि अन्य अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के मामले में किया जाता है।

(भास्कर राय चौधरी)

उप निदेशक/स्थापना (खेलकूद)